

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक 198/25

दिनांक 27.9.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री रामकिरण पुत्र, पुत्री, पति मोई ने पार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बार्डी पटवार मण्डल बार्डी तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2077-79 के खाता संख्या 225 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमर अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से बैरवा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी बार्डी से करवाने पर पटवारी ने चमर के बजाय बैरवा करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में के बजाय बैरवा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अमिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम बार्डी के खाता संख्या 225 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमर के स्थान पर सम्मानजनक रूप से बैरवा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)

छबड़ा जिला बारां

सदर कार्यालय